संख्या– /XXXVI(2)/25/19(बजट)/2022

प्रेषक,

प्रशान्त जोशी,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

न्याय अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक अगस्त, 2025

विषय–केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत बाह्य न्यायालय (जू0डि0) चकराता, जनपद देहरादून के अनावासीय भवन तथा आवासीय भवन (टाईप– V) के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 7151/U.H.C/Admin.B/IX-b/2009, दिनांक 09.12.2024 के संदर्भ में अवगत कराया जाना है कि केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत बाह्य न्यायालय (जू0डि0) चकराता, जनपद देहरादून के अनावासीय भवन के निर्माण कार्यो तथा आवासीय भवन (टाईप–V) के निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता जनपद देहरादून द्वारा गठित विस्तृत आगणन के आधार पर नियोजन विभाग/टी0ए0सी0 तथा 'व्यय वित्त समिति' द्वारा निम्नलिखित तालिकानुसार औचित्यपूर्ण धनराशि निर्धारित की गयी है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क0	योजना/कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था द्वारा आंकलित धनराशि	टी0ए0सी0, नियोजन विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि	व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत/अनुमोदित धनराशि
1	केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत बाह्य न्यायालय (जू0डि0) चकराता, जनपद देहरादून के अनावासीय भवन का निर्माण कार्य	1154.91	1115.86	1133.40 (सोलर कार्य हेतु रू0 17.54 लाख की धनराशि को समाहित करते हुए)
2	केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत बाह्य न्यायालय (जू0डि0) चकराता, जनपद देहरादून के आवासीय (टाईप–V) भवन का निर्माण कार्य	178.64	160.17	160.17
	कुल धनराशि	**1333.55**	**1276.03**	**1274.43** (कुल धनराशि रू0 1293.57 लाख में से प्रथम चरण के कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 19.14 लाख को घटाते/कम करते हुए)

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत

(CSS) बाह्य न्यायालय (जू0डि0) चकराता, जनपद देहरादून के अनावासीय भवन के निर्माण कार्यो तथा बाह्य न्यायालय (जू0डि0) चकराता, जनपद देहरादून के टाईप–V के आवासीय भवन के निर्माण कार्यों हेतु 'व्यय वित्त समिति' द्वारा औचित्यपूर्ण संस्तुत लागत के आधार पर **कुल रू0 1274.43 लाख** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में SNA SPARSH प्रणाली के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–648/XXXVI(2)/25/21(बज़ट)/2025 दिनांक 27.06.2025 द्वारा आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखी गयी कुल धनराशि रू0 4,64,44,444/– (Limit) (केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित) में से उपरोक्त उल्लिखित कार्यो हेतु प्रथम किश्त (40%) की निर्धारित धनराशि रू0 5,09,77,200/– के सापेक्ष वर्तमान में व्यय हेतु अवशेष/उपलब्ध **रू0 1,84,52,444/– (रूपया एक करोड़ चौरासी लाख बावन हजार चार सौ चौवालीस मात्र) (केन्द्रांश रू0 1,66,07,200.00 + राज्यांश रू0 18,45,244.00)** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाये जाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा लिया जाय व उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भवन की Structural Design एवं Drawing किसी अधिकृत संस्थान से वैट अवश्य करायी जाय।
3. भवनों का निर्माण कार्य NBC and Uttarakhand Building Bye-Laws एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाय। प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि बजट के आधार पर भवनों का निर्माण इस प्रकार से हो कि निर्मित भवन को उपयोग में लाया जा सकें। अपरिहार्य परिस्थिति में बजट की अनुपलब्धता के कारण कार्य को अवरूद्ध भी करना पडे तो तकनीकी दृष्टिकोण से सुरक्षित Stage पर ही अवरूद्ध किया जाय।
4. अग्नि सुरक्षा हेतु परिसर में Inbuilt Fire Safety Mechanism का प्राविधान किया जाय तथा नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाय। कार्य कराये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा के कार्यो के प्राविधान को अग्नि सुरक्षा विभाग से वैट अवश्य कराया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अग्नि सुरक्षा के कार्यो को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
5. परिसर में विद्युतीकरण के प्राविधानों का विशेष ध्यान रखा जाय। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु आई0ई0सी0–62561–7 के मानकों के अनुसार Earthing का कार्य तथा आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु Lightning Protection System IEC62305 मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाय। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व विद्युतीकरण के प्राविधानों को सम्बन्धित विभाग से Vett करा लिया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् विद्युतीकरण के कार्यो को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र विद्युत सुरक्षा विभाग से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय। विद्युतीकरण के कार्यो को विद्युत/यांत्रिक अभियन्ताओं से ही सम्पादित कराया जाय।
6. आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय।
7. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रांश की धनराशि के साथ–साथ अनुपातिक रूप में राज्यांश की धनराशि का शेयरिंग पैटर्न का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. भवन में Green Building के मानकों के अनुसार आवश्यक प्राविधान किये जाय।
9. तृतीय पक्ष गुणवत्ता एजेन्सी से तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य कराया जाय।
10. कार्य कराये जाने से पूर्व UG Tank, RWH Tank आदि का आवश्यकतानुरूप मानको के अनुसार डिजाइन किया जाय।
11. परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर वास्तुविद् आदि की Fee में कोई वृद्धि नहीं होगी। वास्तुविद्/परामर्शी सेवायें लिये जाने हेतु वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–96873 दिनांक 07 फरवरी, 2023 तथा शासनादेश संख्या–264943/XXVII(1)/2024 दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 का अनुपालन अवश्य किया जाय।
12. स्वीकृत धनराशि के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण व उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त की एक प्रति राज्य योजना आयोग को भी उपलब्ध कराये जायेगा।
13. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो संबंधित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
14. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आंगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
15. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आंगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
17. निर्माण कार्य कराते समय अथवा आंगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006), दिनांकः 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
18. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुसार कार्य किया जाय।
19. निर्माण कार्य को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारिणी इस प्रकार तैयार की जाये कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।
20. निर्माण कार्यों के संबंध में नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction

Agreement में Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

21. स्वीकृत आगणन के सापेक्ष क्षेत्रफल में वृद्वि/मानचित्र में परिवर्तन एवं स्वीकृत लागत से अधिक पर अनुबन्ध अथवा व्यय किये जाने से पूर्व शासन की अनुमति आवश्यक है।
22. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बज़ट से स्वीकृत की गयी हो तो उसे इय योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत कार्य की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष बची धनराशि का उपयोग अन्य प्रायोजन हेतु किया जाता है तब इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
23. आगणन में दरें डी0एस0आर0–2023 की ली गयी है जिन मदों की दरें शिडयूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है उन मदों की सामग्री की दरें जैम/बाजार से प्राप्त कर उन मदों की करों को डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 आदि में प्राविधानित कर विश्लेषण के अनुसार ही दर विश्लेषित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त ही इन मदों का कार्य कराया जाय।
24. बाजार की दरों पर आधारित मदों हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 एवं शासनादेश संख्या 103/XXVIII(7)/32/2007 टी0सी0–1 दिनांक 21 जुलाई, 2022 के अनुरूप कार्यवाही की जाय। योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness एवं Energy efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित जाय तथा सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित करते हुए भवनों की स्वतः स्वच्छता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्राविधान अवश्य किये जाय।
25. कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग इस प्रकार किया जायेगा कि स्वीकृत की जा रही धनराशि शीघ्रातिशीघ्र निर्माण कार्यों पर व्यय करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तद्नुसार उपलब्ध कराये जायेगें।
26. प्रश्नगत कार्य के संबंध में विभागीय व्यय समिति/व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रदत्त निर्देशों/निर्णयों एवं कार्यवृत्त में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
27. न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–648/XXXVI(2)/25/21(बज़ट)/2025 दिनांक 27.06.2025 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
28. वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII/2025, दिनांक 31.03.2025 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by Prashant Joshi
Date: 22-08-2025 16:15:48

(प्रशान्त जोशी)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड कौलागढ़ देहरादून।

2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. संयुक्त सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), भारत सरकार, जैसलमेर हाऊस, 26–मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110011
6. निदेशक, वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेन्ट ऑफ एक्सपेन्डिचर, (PFMS Division) भारत सरकार, 5जी फलोर, ब्लाक–11 सी0जी0ओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली।
7. जिला न्यायाधीश, देहरादून।
8. जिलाधिकारी, देहरादून।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/देहरादून उत्तराखण्ड।
10. बज़ट अधिकारी/वित्त (वै0आ0–सा0नि0) अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन0आई0सी0/राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड यमुना कॉलोनी, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त स्वीकृत निर्माण कार्य/योजना के संबंध में डाटा फीडिंग/जियो टेगिग आदि कार्य पूर्ण कराते हुए तद्नुसार शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
13. अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Manish Kumar Pandey
Date: 22-08-2025
16:52:17

(मनीष कुमार पाण्डेय)
अपर सचिव।